APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

लालीदेवी पत्नि दशरथदास वैष्णव
निवासी कानपुरा

बनाम पुखराज पिता श्रवण गुर्जर
निवासी देवरिया

किस्म मुकदमा– वाद–पत्र अन्तर्गत धारा – 88 रा.टी.ए.

प्रकरण संख्या– 192 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.5.2018	बाद जांच वाद पत्र प्रस्तुत हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर मिलसु दिनांक 06.06.2018 को अटल सेवा केन्द्र ऊँखलिया पेश करें। सहायक कलक्टर(SDO)गुलाबपुरा	
06.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट उंखलिया पर पेश हुई । वादीया श्रीमति लाली देवी उनके अधिवक्ता श्री विवेक बम्ब उपस्थित। प्रतिवादी पुखराज, पानी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की और से वकालतनामा श्री राजकुमार वैष्णव एडवोकेट ने पेश कर अपना इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।- वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के द्वारा ग्राम देवरिया की आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि का बेचान रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से किया गया था, जिसका नामान्तकरण 1322 दिनांक 14.07.2016 को वादीया के हक में फैसल हो चूका था। जबकि वादीया ने आराजी नम्बर– 746 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर– 749 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि खरीद की थी। वादीया को इसकी जानकारी होने पर रजिस्ट्रर्ड शुद्धि पत्र करवाया गया था। अन्त में कथन किया कि गलत आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा की आराजी का नामान्तकरण संख्या– 1322 को वादीया के नाम पर खोला उसे शून्य प्रभावी घोषित करया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज आराजी नम्बर– 686 निरस्त करा शुद्धि पत्र के आधार पर आराजी नम्बर– 746, 749 को वादीया के नाम दर्ज करवाया	लाली देवी पुखराज अ.नि. पानी 6/6/18 सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जावें। जबकि वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि ग्राम देवरिया की आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा की आराजी का नामान्तकरण संख्या– 1322 जो वादीया के नाम खोला उसे शून्य घोषित कर राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा का अंकन किया उसे निरस्त किया जाकर पुनः उक्त आराजी का अंकन प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम करावें तथा शुद्धि पत्र के आधार पर जो विकय शुदा आराजी नम्बर– 746, 749 को वादीया के नाम दर्ज किया जाता है तो हमें कोई आपति नही है।

मैंने उभयपक्ष को सुना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीया के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 मौजा देवरियाँ तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, 746 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, 749 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि अन्य आराजीयात के साथ पुखराज पिता श्रवण, पानी बेवा श्रवण, गुर्जर साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 1322 निर्णय दिनांक 14.07.2016 बेचान से आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि पुखराज पिता श्रवण, पानी बेवा श्रवण के बजाय लाली देवी पत्नि दशरथ दास वैष्णव जाति साधु निवासी कानपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहाँ वादीया का कथन है कि उसके द्वारा आराजी नम्बर– 746 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, 749 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि खरीद की गई थी, किन्तु रजिस्ट्री में गलती से आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा लिख दिये जाने से नामान्तकरण संख्या– 1322 से उनका नाम रिकार्ड में दर्ज हो चूका है। जिसकी जानकारी होने पर उनके द्वारा शुद्धि पत्र तैयार करवाया जाकर पंजीयन करवाया है। अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा रजिस्टर्ड शुद्धि पत्र दिनांक 01.08.2017 की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन किया गया, जिस अनुसार वादीया के कथनों की पुष्टि होती है। उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी शुद्धि पत्र के अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में वादीया के नाम दर्ज किये जाने मे कोई आपति नही होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये। दावा वादी लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

"निर्णय"

दावा वादीया लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर मौजा देवरिया तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 686 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा भूमि के खातेदार लाली देवी पत्नि दशरथ दास वैष्णव का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि पुखराज पिता श्रवण, पानी बेवा श्रवण गुर्जर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा आराजी नम्बर– 746 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, आराजी नम्बर– 749 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा भूमि, लाली देवी पत्नि दशरथ दास वैष्णव जाति साधु निवासी कानपुरा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावें। डिकी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट उंखलिया पर सूनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner